

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 09 नवम्बर, 2021

सार्वजनिक सूचना संख्या 36/2021-22

विषय: कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021- 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 07.10.2021 के परामर्श पत्र संख्या 17/2021-22 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां

कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 -31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 07.10.2021 के परामर्श पत्र संख्या 17/2021-22 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थी।

2. इसके जवाब में प्राधिकरण को निम्नलिखित हितधारकों से टिप्पणियां/प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं:

क्र. सं.	हितधारक
1	मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
2	मैसर्स फैडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए)

ऊपर बताए अनुसार प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां सभी संबंधितों की जानकारी के लिए संलग्न हैं।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं निदेशक सांख्यिकी)